

गुलमोहर हाई स्कूल . स्मार्ट डिजिटल सिटीजनशिप प्रोग्राम लॉन्च, कहा

विलक करने से पहले सोचें विद्यार्थी

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

भविष्य की चुनौतियों और इंटरनेट की जटिलताओं को देखते हुए गुलमोहर हाई स्कूल ने स्मार्ट डिजिटल सिटीजनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया. टाटा एजुकेशन एक्सीलेंस प्रोग्राम के सहयोग से आयोजित स्मार्ट डिजिटल सिटीजनशिप प्रोग्राम के जरिये विद्यार्थियों को केवल तकनीक का उपयोगकर्ता बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक जागरूक, सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक के रूप में तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया. मंगलवार से इसकी शुरुआत की गयी. जिसमें शहर के 17 विभिन्न



स्मार्ट डिजिटल सिटीजनशिप प्रोग्राम लॉन्च करने के दौरान उपस्थित अतिथि.

स्कूलों (16 अंग्रेजी माध्यम और 1 हिंदी माध्यम) के 85 छात्र और 17 शिक्षकों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता इसका पीयर-टू-पीयर मॉडल रहा. शिक्षक विपुल कुमार और सुमित सेन के

मार्गदर्शन में अक्षत सरकार, सहर्ष कुमार, अमृत कुमार सिंह, आराध्य अभिज्ञान, आदर्श कुमार और आरुष की टीम ने सत्र को अत्यंत रोचक बनाया. स्मार्ट डिजिटल सिटीजनशिप प्रोग्राम की सफलता और इसकी

विवेक बाइट्स

छोटागोविंदपुर: विवेक विद्यालय के 3 विद्यार्थी सिल्वरजोन ओलिंपियाड में बने स्टेट टॉपर



जमशेदपुर . छोटा गोविंदपुर स्थित विवेक विद्यालय के विद्यार्थियों ने सिल्वरजोन फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर की सिल्वरजोन ओलिंपियाड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है. विद्यार्थियों ने कंप्यूटर, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. कंप्यूटर विषय में विद्यालय के दो विद्यार्थियों ने राज्य टॉपर बनकर विशेष उपलब्धि प्राप्त की. जिनमें से एक विद्यार्थी ने स्वर्ण पदक तथा दूसरे ने रजत पदक हासिल किया. वहीं, अंग्रेजी विषय में एक विद्यार्थी को राज्य टॉपर घोषित किया गया, जिसने रजत पदक प्राप्त किया. इस ओलिंपियाड में विद्यालय के विद्यार्थियों ने कुल 22 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक तथा 13 कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.

शास्त्रा व टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के बीच समझौता
जमशेदपुर . तंजावुर स्थित शास्त्रा डीमंड यूनिवर्सिटी और हैदराबाद स्थित टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने क्षमता निर्माण, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है. यह समझौता शास्त्रा के 25वें विश्वविद्यालय दिवस समारोह के दौरान संपन्न हुआ, जिसमें कार्यकारी निदेशक मसूद हुसैनी अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने शास्त्रा के साथ दीर्घकालिक संबंधों को प्रतिबद्धता जतायी और विश्वविद्यालय की निरंतर वृद्धि और क्षमता निर्माण गतिविधियों की सराहना की. समारोह में उपस्थित आयकर आयुक्त जे. प्रेमानंद ने शास्त्रा के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की और छात्रों से रचनात्मक समस्या-समाधान के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करने का आग्रह किया. कुलपति डॉ एस वैद्यसुब्रमण्यम ने वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि इस शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय ने 120 करोड़ रुपये के अनुसंधान और प्रारम्भश प्रोजेक्ट प्राप्त किये हैं. इसके अतिरिक्त, 1,200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए, 247 कंपनियों द्वारा 3,900 से अधिक रोजगार प्रस्ताव दिये गये और 160 करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा विकास किया गया.

नारायणा एजुकेशनल के 6 राज्यों में खुलेंगे 38 नये कैंपस

जमशेदपुर .नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 200 करोड़ के राष्ट्रव्यापी विस्तार की घोषणा की है. इस रणनीतिक पहल के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में 38 नये कैंपस खोले जायेंगे. विस्तार योजना में 26 स्कूल, 9 जूनियर कॉलेज और 3 कोचिंग सेंटर

शामिल हैं, जिससे देश भर में संस्थान के कुल कैंपस की संख्या बढ़कर 952 हो जायेगी. आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 15 नये कैंपस खुलेंगे, जबकि तेलंगाना में 10, महाराष्ट्र में 5, गुजरात और तमिलनाडु में 3-3 और मध्य प्रदेश में 2 नये कैंपस शुरू किये जायेंगे.

जायेंगे. नारायण ग्रुप के अध्यक्ष पुनीत कोठपा ने कहा कि उनका दृष्टिकोण देश के हर जिले में कैंपस स्थापित करना है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो सके. 47 वर्षों की विरासत वाला यह संस्थान वर्तमान में 23 राज्यों में 6 लाख से अधिक छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीए जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है.

दक्षिण पूर्व रेलवे - निविदा

ई-निविदा की राहगी

मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता, दक्षिण पूर्व रेलवे, चक्रधरपुर द्वारा पूर्व प्रकाशित ई-निविदा संख्या: एसटी-सीकेपी-ओटी-26-27-07 एवं एसटी-सीकेपी-ओटी-26-27-08, दिनांक: 10.04.2026। उपर्युक्त निविदाओं को एतद्वारा रद्द माना जाए। (PR-96C)

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India BOI

बैंक ऑफ इंडिया, आस्टि क्सूली विभाग (एआरडी)
जमशेदपुर क्षेत्र, द्वितीय तल, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, मेन रोड
बिष्टपुर, जमशेदपुर - 831001
ई-मेल : ARD.Jamshedpur@bankofindia.bank.in

बैंक के पक्ष में जब्त वाहनों की विप्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

जन साधारण को सामान्यतः एच ऋणियों और जमानतदारों को विशेष तौर पर सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जब्त किये गये वाहनों की विप्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा “ **जहाँ है, जिस हलत में है और जो है के अन्वार पर** ” निम्नवर्णित ऋणियों और जमानतदारों से बैंक ऑफ इंडिया के वकाली राशि की वसूली हेतु **दिनांक 26.05.2026** को होगी। आरक्षित मूल्य और ईएमडी राशि का विवरण नीचे तालिका में है।

शाखा का नाम	ऋणकर्ता का नाम	वाहनों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रुपये में)	अग्रघन जमा राशि (रुपये में)
सर्किट हाऊस शाखा	मेसर्स हरे कृष्णा इन्फिनियरिंग	रजि. नं. JH05DW-2052 Ashok Leyland Dost RLS, Commercial	मॉडल JUNE 2024 6,00,000/-	60,000/-

नीलामी ऑनलाइन पोर्टल www.baanknet.in के माध्यम से होगी। विप्री की विस्तृत रातों और नियमों के लिए, www.baanknet.in गोलोवाता संजीकरण विकल्प पर जाएँ।

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 26.05.2026 राय 04:00 बजे तक।
ई-नीलामी की तिथि और समय : 26.05.2026 सुबह 11:00 बजे से राय 04:00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट की अवधि के अवधिगत विस्तार के साथ वाहनों के विप्रीक्षण की तिथि और समय : 26.05.2026 सुबह 11:00 बजे से राय 04:00 बजे तक (प्राक्कृत अधिकारी से संपर्क करें)
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: **श्री विमल कुमार, मोबाईल नंबर 7903869622 (पृथक संपर्क, सर्किट हाऊस शाखा)**
या **श्री विमल कुमार सिंह (पृथक संपर्क ARD जमशेदपुर) – मोबाईल नंबर 845180.6554.**
विप्री की विस्तृत रातों और नियमों के लिए कृपया पुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.bankofindia.bank.in पर विर गए लिंक का संदर्भ लें.
दिनांक : 24.04.2026, स्थान : जमशेदपुर **नोट: त्रुटि / विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।** **हो/- प्राक्कृत अधिकारी**

बिहार सरकार

समाहरणालय, मुंगेर (मद्यनिषेध-शाखा)

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2018, 2022 एवं 2023) के अन्तर्गत जब्त एवं अधिहरित वाहनों को अपीलीय न्यायालय के द्वारा शास्ति/जुर्माना पर मुक्त कराने हेतु अल्पकालीन सूचना।

आम सूचना

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वैसे वाहन जिन्हें मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-58 के तहत मद्यनिषेध विभाग एवं पुलिस थाना द्वारा जब्त किया गया। बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2018, 2022 एवं 2023) के अंतर्गत जब्त निम्नांकित सारणी में अंकित वाहनों की जल्दी को 30 दिन हो चुके है एवं वाहनों को वेनाल्टी पर मुक्त कराने हेतु वाहन मालिक या अन्य कोई दायेदार विज्ञापन एवं डाक द्वारा नोटिस के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए है। तदपश्चात समाहर्त-साह-जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर द्वारा सूची में अंकित वाहनों को शराब परिवहन में जप्त एवं अधिहरित/राज्यसात किया गया है, जो कि अधिहरण के पश्चात नीलामी की प्रक्रिया के अन्तर्गत है। इनमें से ज्ञात वाहनों के स्वामी (वाहन मालिकों) को डाक द्वारा व्यक्तिगत नोटिस भी भेजी जा चुकी है। जिन वाहनों के स्वामित्व का पता नहीं चल सका है वैसे वाहनों का वाद अज्ञात के विरुद्ध संचालित किया गया है।

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपीलीय न्यायालय (माननीय आयुक्त उत्पाद, के न्यायालय) में अधिहरण आदेश के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। इस हेतु सगी वाहन स्वामी इस नोटिस के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपीलीय न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं। 15 दिनों के अन्दर वाहन स्वामी के द्वारा अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखने/ससमय सूचित नहीं करने की स्थिति में आपका वाहन नीलामी की प्रक्रिया में भेज कर नीलाम कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

यदि कोई वाहन स्वामी वाहन को शास्ति पर मुक्त कराने हेतु इच्छुक है तो वे अपना आवेदन अधिहरण आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय (माननीय आयुक्त उत्पाद, के न्यायालय में) में समर्पित कर सकते हैं साथ ही इसकी सूचना तत्काल कार्यालय सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, मुंगेर (मो- +91 9473400826, Email Id :-munger-excise@nic.in) में अथवा कार्यालय समाहर्ता, मुंगेर में समर्पित करेंगे।

वाहनों का विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

क्र० सं०	उत्पाद अधिहरण वाद सं०	थाना का नाम	थाना का सं० एवं दिनांक	गाड़ी का नाम	गाड़ी का रजिस्ट्रेशन	इंजन नम्बर	चेचिस नम्बर	वाहन स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	51/2026	तारापुर	168/2025	MARUTI SUZUKI FRONX SIGMA FOUR WHEELER	JH16K-4133	K12NP762 5092	MBHKWD135 SB484378	अमन कुमार सिंह, पे०-प्रदीप कुमार सिंह, सा०-महवादागा,पो०- पाकुड़, थाना-पाकुड़, जिला- पाकुड़, पिन को-816107 राज्य -झारखंड

बिस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।

PR- 001977 (Excise) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

समाहर्ता-साह-जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर।



KOTHARI®

FREEDOM

VEST

TSHIRT

BRIEF

BOXER

BERMUDA

TRACK PANT

Kothari Hosiery Factory Private Limited

29, Strand Road, Mohta House 2nd Floor, Kolkata 700001

P 84208 26999, www.kotharihosiery.com